संख्या-20/2020 /1101 /78-2-2020-34आईटी/2010

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
3. समस्त जिलाधिकारी/ अध्यक्ष, डी.ई.जी.एस. सोसाइटी उ0प्र0।
4. राज्य समन्वयक, सीईजी, गोमतीनगर लखनऊ।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 03 दिसम्बर, 2020

विषय:- आम जनमानस को पेमेन्ट गेट-वे का उपयोग करते हुए विभिन्न सिटिजन सेन्ट्रिक सेवाए उपलब्ध कराने हेतु लिये जाने वाले यूजर चार्ज एवं इसके अंश विभाजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य समन्वयक, सीईजी के पत्र संख्या-सीईजी/जी/148/203/20 दिनांक 22-10-2020 एवं आईटी एवं इले0 अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1278/78-2-2014-53आईटी/ 08 टीसी दिनांक 25-11-2014 एवं शासनादेश संख्या- 497/ 78-2-2019-34आईटी/2010 दिनांक 13-07-2020 के अनुक्रम में अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश दिनांक 25-11-2014 के माध्यम से आम जनमानस के उपयोगार्थ विभिन्न सिटिजन सेवाओं को इण्टरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी थी। जिसमें आम जनमानस द्वारा बिना जनसेवा केन्द्र आये सीधे ऑनलाइन आवेदन करने पर खतौनी सेवा के लिए रू015/- एवं अन्य शासकीय सेवाओं के लिए रू0 10/- यूजर चार्ज के रूप में निर्धारित किये गये थे।

2- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 13-7-2020 के अनुसार सीएससी 3.0 परियोजना की नवीन व्यवस्था में जन सेवा केन्द्रों पर आम नागरिकों से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (https://edistrict.up.gov.in/) पर उपलब्ध प्रत्येक शासकीय सेवा के लिए कुल 30 रू0 यूजर चार्जेस के रूप में लिए जाने की व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स का अंश निमनवत निर्धारित है:-

क्र0	सेवा	यूजर चार्ज का अंश विभाजन (रू0)				
		डी.एस.पी./ वी.एल.ई.	सम्बन्धित विभाग	डी.ई.जी.एस.	सी.ई.जी.	कुल यूजर चार्ज (रू0)
1	समस्त जी2सी सेवायें	15	03	10	02	30

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 16-11-2020 से प्रभावी सीएससी 3.0 परियोजना में आम जनमासन से ई-ड्रिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर सीधे ऑनलाइन आवेदन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

करने पर लिये जाने वाले यूजर चार्ज में डी.एस.पी. / वी.एल.ई. का अंश शून्य रहेगा तथा अन्य स्टेक होल्डर्स के अंश की धनराशि का विभाजन उपरोक्त तालिका के क्रम में निम्नवत होगा:-

क्र0	सेवा	यूजर चार्ज का अंश विभाजन (रू0)				
		डी.एस.पी./ वी.एल.ई.	सम्बन्धित विभाग	डी.ई.जी.एस.	सी.ई.जी.	कुल यूजर चार्ज (रू0)
1	समस्त जी2सी सेवायें	0	03	10	02	15

3- अर्थात आम जनमानस द्वारा पेमेन्ट गेट-वे का उपयोग करते हुए बिना जन सेवा केन्द्र जाये आवेदन की दशा में प्रत्येक शासकीय सेवा के लिए रू0 15 /- यूजर चार्जेस के रूप में लिया जायेगा।

भवदीय,

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी , एनआईसी, योजना भवन लखनऊ।
3- हेड, एसईएमटी, गोमती नगर लखनऊ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

बराती लाल
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।